न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 29/2022

बउनवान

1. नरेन्द्र कुमार आयु 38 वर्ष पुत्र श्री बाबूलाल जाति कुम्हार
2. श्रीमती सपना आयु 35 वर्ष पत्नि नरेन्द्र कुमार जाति कुम्हार निवासीगण लंका कॉलोनी पश्चिमी भाग बारां थाना कोतवाली, तहसील बारां जिला–बारां, राज0 **(अपीलांट्स)**

बनाम

बाबूलाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्रवणलाल जाति कुम्हार निवासी लंका कॉलोनी पश्चिमी भाग बारां थाना कोत, बारां तहसील बारां जिला बारां राज0 **(रेस्पोंडेंट)**

अपील अन्तर्गत धारा 4 माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधि. 2007

उपस्थिति :–1. श्री तुलसीराम सोमानी, अभिभाषक **(अपीलांट्स)**

2. श्री महेश प्रकाश गौत्तम, अभिभाषक **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 03.01.2023

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां के प्रकरण संख्या /2021 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध उक्त उनवान की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई थी। जिसको दिनांक 30.06.2022 को स्वीकार कर आदेश दिया है कि अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को प्राथी/रेस्पो0 के मकान लंका कॉलोनी बारां पश्चिमी भाग मे स्थित मकान से बेदखल कर रेस्पो0/प्रार्थी को एक माह के अन्दर कब्जा दिलाने हेतु थानाधिकारी कोतवाली बारां को आदेशित किया जाता है तथा अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को पाबंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश/निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का कानून के अनुसार विवेचन नही करके अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुये एक तरफा निर्णय पारित किया है। जबकि अपीलार्थीगण को विधिवत सूचना प्राप्त नही हुई है। इसलिये उपस्थित होने मे कोई लापरवाही नही की है एवं सुनवाई का उचित एवं युक्तियुक्त अवसर दिये बना गलत तरीके से एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यदि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अनुपालना मे मकान से बेदखल कर दिया गया तो अपीलार्थीगण के पास अन्य रहने की व्यवस्था नही है, न ही आय का कोई जरिया है तथा अपीलार्थीगण का परिवार बर्बाद हो जावेगा। अपीलार्थीगण को विवादग्रस्त मकान में ... कानूनी हक व अधिकार है। परन्तु दहेज के खातिर रेस्पो0 अपीलार्थी... ...वाहता है अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पो0/प्रार्थी के विरूद्ध घर में शांति पूर्वक रहने देने के संबंध मे ...हिंसा के तहत न्यायालय सी.जे.एम. बारां मे भी कार्यवाही पेश की है जो जेरकार है ...0/प्रार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही तथ्यों को छिपाते हुये मिथ्या आधारों पर पेश की है। क्योंकि रेस्पो0 सरकारी कर्मचारी है जो रिटायर्ड हो चुका है तथा उसे प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होती है व ताउम्र सरकार की ओर से इलाज की सुविधा मुफ्त है तथा रेस्पो0 के अपीलार्थीगण के

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.01 10:33:24 IST
Reason: SelfAttested

अलावा दो पुत्र सुरेन्द्र, दीपक व दो पुत्रवधुएं शालू, निधि और हैं। इन तथ्यों को छिपाते हुये उक्त कार्यवाही पेश की है, जो काबिल निरस्तनीय है। प्रार्थी/रेस्पो0 ने अपने पुत्र सुरेन्द्र एवं उसकी पत्नि के बहकावे मे आकर यह झूठी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की है। प्रार्थी/रेस्पो0 बाबूलाल मूलरूप से ग्राम समसपुर तहसील व जिला बारां के रहने वाले है जहां पर उनकी पैत्रिक आराजी व पैत्रिक रिहायशी मकान स्थित था जिसको भी बाबूलाल जी द्वारा खुर्दबुर्द कर दिया है तथा उससे प्राप्त धनराशि से बारां मे मकान बनाया है, जो पैत्रिक संपत्ति की आय से बना है जिस पर अपीलार्थीगण सहित सभी वारिसान का हक है। जबकि उक्त अचल संपत्ति को खुर्द बुर्द करने का बाबूलाल जी को कोई हक व अधिकार नही है। अपीलार्थी क्रम 1 लाइट का काम करता था अपीलार्थी क्रम 1 की दुर्घटना में हाथ मे गंभीर लगने से उसकी कार्यक्षमता मे भारी कमी आ गयी है। इस कारण परिवार का खर्चा भी बामुश्किल चला पाता है। इसके बावजूद समय समय पर अपनी हैसियत अनुसार प्रार्थी/रेस्पो0 का सहयोग करता है। अपीलार्थीगण की शादी होने के बाद से ही रेस्पो0 व परिजन कम दहेज देने के ताने देकर नाजायज परेशान करते आ रहे हैं, दहेज की मांग करते है तथा दहेज नही लाने के कारण अपीलार्थीगण को मकान से निकालना चाहते है। इसी कारण यह झूठी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गयी है जो निराधार व विधि विरूद्ध तथा निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश दिनांक 30.06.2022 प्रकरण संख्या /2021 कार्यवाही अंतर्गत धारा 4 माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 बउनवान बाबूलाल बनाम नरेन्द्र कुमार वगैरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को एवं अधीनस्थ न्यायालय को रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है तथा उनके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पो0/प्रार्थी के विरूद्ध घर मे शांति पूर्वक रहने देने के संबंध मे घरेलू हिंसा के तहत न्यायालय सी.जे.एम. बारां मे भी कार्यवाही पेश की है जो जेरकार है। रेस्पो0/प्रार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही तथ्यों को छिपाते हुये मिथ्या आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही पेश की है।अपीलार्थीगण की शादी होने के बाद से ही रेस्पो0 व परिजन कम दहेज देने के ताने देकर नाजायज परेशान करते आ रहे हैं, दहेज की मांग करते है तथा दहेज नही लाने के कारण अपीलार्थीगण को मकान से निकालना चाहते है। इसी कारण यह झूठी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गयी है जो निराधार व विधि विरूद्ध तथा निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश दिनांक 30.06.2022 प्रकरण संख्या /2021 कार्यवाही अंतर्गत धारा 4 माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 बउनवान बाबूलाल बनाम नरेन्द्र कुमार वगैरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.01 10:33:24 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत

विधिसंगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थीगण का यह कथन नितान्त असत्य है कि उन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया जबकि अपीलार्थीगण बावजूद सूचना अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। अपीलार्थीगण ने रेस्पोडेन्ट की सम्पत्ति पर बलपूर्वक कब्जा कर रखा है जिससे उन्हे बेदखल किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश युक्तियुक्त एवं विधिनुरूप ही पारित किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाती है।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 21 तथा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 के नियम 21 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण के तहत ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.01 10:33:24 IST
Reason: SelfAttested